न्यायालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–810 / 2026

हरिवंश सहनी वगैरह बनाम् बिहार सरकार

बलिगांव थाना कांड संख्या–25 / 2026

अधीन धारा–420, 406, 464 467, 468, 364, 34 भा0 दं0 सं0।

14.05.2026 बलिगांव थाना कांड संख्या–25 / 2026, भारतीय दण्ड संहिता की धारा–420, 406, 464 467, 468, 364, 34 में गिरफ्तारी की आशंका के कारण आवेदकगण **हरिवंश सहनी उम्र–65 वर्ष पेसर–स्व0 गर्भु सहनी, संगीता देवी उम्र–60 वर्ष पति–रमेश राय, भोला पासवान उम्र–37 वर्ष पेसर–लखिन्द्र पासवान, रमेश राय उम्र–51 वर्ष पेसर–वासुदेव राय, सुरेन्द्र राम उर्फ शिवाजी राम उम्र–48 वर्ष पेसर–स्व0 नन्दलाल राम एवं अनिल राम उम्र–34 वर्ष पेसर–स्व0 नन्दलाल राम** सभी साकिन–रूपनपट्टी, थाना–बलिगांव, जिला–वैशाली एवं **आनन्द कुमार उम्र–37 वर्ष पेसर–संजय राय** साकिन–हंसीकेवल, थाना–भगवानपुर, जिला–वैशाली के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता **श्री आशुतोष कुमार** तथा विद्वान लोक अभियोजक **श्री श्यामबाबु राय** को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

जमानत आवेदन की कण्डिका 02 में उल्लिखित है कि आवेदकगण के तरफ से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन का कथन परिवादी शिवजी राय के लिखित आवेदन के आधार पर यह है कि परिवादी दूसरे प्रदेश में प्राईवेट नौकरी करता है। अभियुक्तगण से साजिस के तहत परिवादी की पुस्तैनी जमीन जो मौजा रूपनपट्टी में स्थित है जिसका खाता संख्या 111 खेसरा संख्या–698, 704, 706, 625 पूर्ण रकवा 38.75 डी0 भूमि दिनांक–15.02.2024 को वजरिये निबंधित केवाला दस्तावेज संख्या 851 के माध्यम से उसकी पत्नी गीता देवी से अभियुक्त सरस्वती देवी ने अपने नाम पर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवा ली। परिवादी की पत्नी गीता देवी मंदबुद्धि व निरक्षर महिला है। उसको बहला–फुसला कर सरस्वती देवी ने परिवादी का पैत्रिक जमीन अपने नाम पर रजिस्ट्री करवा ली। परिवादी दूसरे प्रदेश में गार्ड का कार्य करता है इसलिए उसे इसकी जानकारी नही थी। जब वह छठ पुजा के अवसर पर घर आया तो घर पर अपनी पत्नी को न पाकर उसकी खोज–बीन की तब उसे पता चला कि उसकी सम्पूर्ण संपत्ति को साजिस के तहत अभियुक्तगणों ने लिखवा लिया है और उसी दिन से उसकी पत्नी गायब है। जब परिवादी अपनी पत्नी के संबंध में जानकारी लेने अभियुक्तगण के पास गया तो अभियुक्तगण ने जानकारी देने से इन्कार किया और उसे धमकी दी कि चुप–चाप गांव छोड़कर चले जाओ। परिवादी द्वारा श्रीमान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को दिये गये आवेदन पर बलिगांव थाना कांड संख्या 25 / 2026 दर्ज हुआ।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदकगण निर्दोष है तथा उसे मिथ्या रूप से इस वाद में फंसाया गया है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं

Web Copy Not Official

न्यायालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।
उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।
अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–810 / 2026
हरिवंश सहनी वगैरह बनाम् बिहार सरकार

लगातार

14.05.2026

है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि परिवादी की पत्नी ने बच्चों के देखभाल के लिए आवेदक सरस्वती देवी से भारी मात्रा में उधार ली और बाद में वह उधार ली गई राशि को देने में असमर्थ थी। अंत में वह अपनी स्वेच्छा से अपनी पैत्रिक भूमि को बेच दी। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि परिवादी की पत्नी माननीय न्यायीक मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित हुई और उनका बयान दर्ज किया गया जिसमें उन्होंने सभी आरोपों से इन्कार किया। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि किसी ने परिवादी की पत्नी का अपहरण नहीं किया था। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदक के विरूद्व कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है। निवेदित है, आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाय।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदकगण के अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया तथा अभिलेख से संलग्न परिवादी द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये गीता देवी के बयान अंतर्गत धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान से विदित होता है कि गीता देवी ने अपने बयान में कहा है कि उसके पति शिवाजी राय ने उसे धमकाया कि उसके पक्ष की बात करूंगी तभी वह घर में रहने देगा। घटना के संबंध में गीता देवी ने कथित किया है कि उसके पति ने उसे मारा था इस कारण वह तीनों बच्चों को लेकर रांची चली गई थी और वहीं पर रहने लगी थी। उसका पति उसे कोई खर्चा नहीं देता था। करीब एक–डेढ़ साल तक रांची में रही फिर अपने मन से अपने बच्चों के साथ ससुराल लौट गई, तब से अपने ससुराल में अपने बच्चों के साथ रह रही है। लगभग 10 साल पहले उसने कुछ पैसा बतौर कर्ज सरस्वती देवी से ली थी। जिसका ब्याज जोड़कर लगभग पांच लाख रूपया हो गया था। वह कर्ज उसने अपना खर्च चलाने और बच्चों की परवरिश हेतु लिया था। जब ब्याज सहित धन लौटा नहीं पाई, तब पंचायती में सरस्वती देवी के पति हरिवंश सहनी और सरस्वती देवी ने उसके पति शिवजी राय से कहा कि उसका पति अपनी पुश्तैनी जमीन गीता देवी द्वारा लिये गये कर्ज के एबज में लिख दे। तब उसे पति ने साफ मना कर दिया।

सरस्वती देवी की बार–बार अनुरोध पर और ये बताने पर की उसके पति की संपत्ति पर उसका भी हक है और कोई भी कानूनी अड़चन आयेगी तो सरस्वती देवी स्वयं देख लेगी। सरस्वती देवी के बात में आकर उसने जमीन सरस्वती देवी के नाम पर लिख दिया। गीता देवी ने यह भी कहा है कि बाकी लोगों को इसमें कोई भागीदारी नहीं है।

कांड दैनिकी की कंडिका 20 में कांड के परिवादी शिवजी राय का पुनः ब्यान अंकित है, जिसमें उन्होंने कथित किया है कि पातेपुर स्थित मंदिर में पुजा करवाते है। उन्होंने

Web Copy not Official

न्यायालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–810 / 2026

हरिवंश सहनी वगैरह बनाम् बिहार सरकार

लगातार

14.05.2026

अपनी पत्नी गीता देवी का अपहरण का केस आठ माह पूर्व न्यायालय में किया था। उन्हें नहीं पता था कि उनकी पत्नी उनके घर ग्राम रूपनपट्टी में पिछले पांच माह से रह रही है। चूंकि वह घर नहीं जाता, मंदिर में ही पूजा–पाठ करा कर अपना जीवन यापन करता है। इस कारण से वह पुलिस को कोई सूचना नहीं दे पाया।

अपहृता सरस्वती देवी ने जो भी आरोपण किया है वह सरस्वती देवी पर ही किया। जहां तक आवेदकगणों का संबंध है परिवादपत्र के अतिरिक्त किसी भी साक्षी ने आवेदकगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार की संलिप्तता को दर्शित नहीं किया है।

मामले के उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख पर उपलब्ध सामाग्रियों एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों को देखते हुए प्रस्तुत मामले में आवेदकगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः इस आदेश की तिथि से एक माह के भीतर आवेदकगण द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आत्म–समर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की स्थिति में उपरोक्त नामित आवेदकगण को 10,000 / –(दस हजार रूपए) तथा उतनी ही समान राशि के दो प्रतिभूओं सहित धारा–482(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की शर्तों के अधीन बंध पत्र दाखिल करने पर विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत मामले में अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web Copy not Official